BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 515 OF 2025

Principal Sharda Public School

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & ors.

Respondents

INDEX

SL. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit on behalf of the respondent no. 2	2-5
3.	**Annexure RA-1 Colly** a copy of the letter dated 24.12.2025 and the inspection report	6-27

Dated: 6 January, 2026

Mukesh Verma, Advocate
(Counsel for Respondent No. 2)
Chamber No. 50, Supreme Court of India,
New Delhi 110001
9810108098,
Email Id: mvermadv@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 515 OF 2025

Principal Sharda Public School

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & ors.

Respondents

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF MEMBER SECRETARY, UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD (RESPONDENT NO.2)

Affidavit of Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 48 years S/o Shri. M.B Dhakate presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Uttarakhand.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on as under:-

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary and is duly authorized to sign and file the instant affidavit and as he is well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 17.10.2025 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

"...

4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand (2) Principal Secretary, Environment Department, Government of Uttarakhand, (3) Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Almora, (4) Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) and (5) District Magistrate, Almora who are impleaded as respondents no. 1 to 5.

6. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), UKPCB and District Magistrate, Almora and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and submit its report within two months. The UKPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

..."

3. That in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal a Joint Committee has been constituted to carry out an inspection of the above-mentioned site i.e garbage dumped in Baldhoti, Almora.
4. That thereafter, the Regional Officer, UKPCB, Haldwani vide letter dated 24.11.2025 submitted the joint inspection report to the Member Secretary, UKPCB w.r.t. the site inspection conducted on 02.12.2025.
5. The report furnishes certain recommendations:

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
STATE OF UTTARAKHAND

a) Municipal Corporation, Almora should ensure segregation of organic and inorganic waste at household level in every ward in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 as amended.

b) Segregation must be done at the source, and the Municipal Corporation should maintain a daily quantitative record of waste generation.

c) As the site falls within the forest area, additional safety measures, including fire-prevention steps should be taken, and legacy waste should be disposed of as per the prescribed guidelines.

d) Proper drainage for rainwater and construction of a retaining wall should be ensured at the waste disposal site.

e) Daily collected waste should be covered with soil at the end of each working day to prevent its spread outside the designated area.

f) Landfills should not be constructed in hilly areas. A transfer station should be established nearby and a sanitary landfill on flat land within 25Km or a regional landfill in plains should be identified for disposal residual and inert waste.

g) The Municipal Corporation, Almora should adopt site-specific waste disposal methods for hilly areas with the approval of State Pollution Control Board. Biodegradable waste should be processed locally.

h) It is appropriate to establish MRF centres and decentralized waste processing facilities suitable for hilly terrain.

i) Municipal Corporation, Almora should ensure strict compliance with the Solid Waste Management Rules,2016 as amended.

In this connection, a copy of the letter dated 24.12.2025 and the inspection report are collectively being filed and marked as **Annexure RA-1** to this affidavit.

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Regd. No. ...
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

6. That the deponent is a responsible government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in response.

Deponent

Dr. Parag Madhukar Dhakate
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

Verification:-

Verified at Dehradun on the 03. day of January, 2026, that the contents of the accompanying response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false and no material has been concealed therein.

Deponent

Dr. Parag Madhukar Dhakate
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No. 09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

Identified by : Priyanka Jina
Advocate
Reg. no. : UK/1475/2022

Priyanka

affidavit is sworn before me by Dr. Parag Madhukar Dhakate
is identified Shri Priyanka Jina Adv.
Dehradun on 3/01/2026

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
UKPCB Phone - 05946-225618 E-mail : ro.haldwani@gmail.com

Ref:UKPCB/ROH/रिट/25/2527-1192 दिनांक 24/12/25

सेवा में
सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 8529
Date 26-12-25

विषय– मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–515/2025 Principal Sharda Public School vs. State Of Uttarakhand & Ors. के संबध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्रांक यू.के.पी.सी.बी. एच0ओ0/सा0–183–946/2025/1305 दि0 06.11.2025 द्वारा मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–515/2025 Principal Sharda Public School vs. State Of Uttarakhand & ors.में पारित आदेश दि0 17.10.2025 के अन्तर्गत सन्द्रर्भित स्थल का सयुंक्त निरीक्षण दि0 02.12.2025 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप से संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अनुराग नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– 1. जिला अधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. वैज्ञानिक अधिकारी, प्रभारी कोर्ट सेल, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को सूचनार्थ एंव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी 24/12/2025

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 515/2025, Principal Sharda Public School Vs State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–515/2025 Principal Sharda Public School Vs State of Uttarakhand & Ors. में दिनांक 17.10.2025 को आदेश पारित किये गये है। पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत हैः–

6. In View of the averments made in the application, we consider it appropriate that a joint committee to be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint committee comprising of representative of Central Pollution Control Board (CPCB), UKPCB and District Magistrate, Almora and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicants associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and submit its report within two months. The UKPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
7. List on 08.01.2026 For Further consideration.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न।(संलग्नक–01)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 कें अनुपालन उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पत्रांक– यूकेपीसीबी/एचओ/ सा0–183–946/2025/1305 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा प्रकरण में वास्तुस्थिति एवं उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सदस्य नामित कर समिति का गठन किया गया। (संलग्नक–02)

01. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
02. उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
03. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

तदकम में क्षेत्रीय निदेशक,केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक–CM-13011/165/2025–LAW–HO-CPCB-HO/583-585 दिनांक–10.11.2025 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, (वैज्ञानिक–ग) तथा कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश पत्रांक संख्या– 924/इक्कीस–01/2025–26 दिनांक 17.11.2025 द्वारा उप जिलाधिकारी सदर,अल्मोड़ा को स्थलीय निरीक्षण हेतु नामित किया गया।(संलग्नक–03)

उपरोक्त के अनुपालन में संयुक्त जॉच समिति द्वारा संदर्भित निरीक्षण स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.12.2025 को किया गया। संयुक्त जॉच कि उपस्थिति निम्नवत है।(संलग्नक–04)

1. श्री अरविन्द कुमार, (वैज्ञानिक–ग),केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री अनुराग नेगी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

3. श्री दीवान सिंह सलाल, नायब तहसीलदार,अल्मोड़ा।
4. श्री लक्ष्मण सिंह भण्डारी,प्रभारी सहायक नगर आयुक्त,नगर निगम अल्मोड़ा।
5. श्री ऋषभ सेमवाल, अनुभाग अधिकारी,वन विभाग अल्मोड़ा।
6. श्री आदित्य शाह, प्रतिनिधि शारदा पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा।

1. नगर पलिका परिषद अल्मोड़ा को नगर निगम अल्मोड़ा के रूप में उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना दिनांक–30.08.2024 द्वारा उच्चीकृत किया गया है। नगर निगम अल्मोड़ा क्षेत्रान्तगर्त कुल 40 वार्ड है, जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 34,122 है।(संलग्नक–05)
2. सहायक नगर आयुक्त,नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया नगर निगम अल्मोड़ा से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा लगभग 12–13 मैट्रिक टन/दिन है। जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट को नगर निगम अल्मोड़ा परिक्षेत्र में समस्त वार्डो से एकत्रित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त छावनी परिषद अल्मोड़ा से लगभग 0.5 मैट्रिक टन/दिन तथा निकटवर्ती ग्रामीण/पचांयती परीक्षेत्र से लगभग 1.5 मैट्रिक टन/दिन कुल लगभग 15 मैट्रिक टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है।
3. नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रतिदिन डोर–टू–डोर ठोस अपशिष्ट का एकत्रण कर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल बलढौंटी तक ले जाया जाता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रभावी संग्रहण के लिये निगम में 02 डमपर प्लेसर, 01 साईड बिन लिफटर, 04 टिप्पर, 02 पिकप वाहन, 01 नकल बूम केन का उपयोग किया जाता है। निस्तारण स्थल में ठोस अपशिष्ट के भार मापन हेतु मापन यंत्र स्थापित नहीं किया गया है।
4. सन्द्रर्भित स्थल पिथौरागढ़–अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग–309B के समीप बलढौंटी, अल्मोड़ा में वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित आरक्षित वन भूमि में स्थित है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल बलढौंटी, अल्मोड़ा में वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित आरक्षित वन भूमि लगभग 0.90 है0 क्षेत्र में स्थापित है। भारत सरकार,पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, क्षेत्रीय कोर्यालय पिर्यसन रोड़, वन अनुसंधान संस्थान परिसर,देहरादून के पत्र संख्याः–08बी/यू0सी0पी0/09/70/2016/एफ0सी0/1664 दिनांक–20/01/2017 द्वारा जनपद–अल्मोड़ा में आरक्षित वन बलढौंटी, ब्लाक–1बी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के कियान्वयन हेतु 0.90है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा को 30 वर्षो की लीज प्राप्त है। (संलग्नक–06)
5. नगरीय ठोस अपशिष्ट निरतारण स्थल ढालदार भूमि पर स्थित है। स्थल के उत्तर दिशा में बांउड्री वॉल का निर्माण किया गया है तथा अन्य दिशाओं में बांउड्री वॉल की स्थापना नहीं कि गयी है। स्थल पर सुरक्षा दिवार का निर्माण नहीं किया गया है तथा हरित पट्टिका विकसित नहीं कि गयी है।
6. निरीक्षण के दौरान निरतारण स्थल पर जैविक ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कम्पोस्टिंग मशीने स्थापित पायी गयी जो निरीक्षण के दौरान संचालित नहीं थी तथा निस्तारण स्थल पर वर्मी कम्पोस्टिंग आदि की व्यवस्था नहीं कि गयी, जिस कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट बृहत मात्रा में एकत्रित पाया गया है तथा

निस्तारण स्थल पर दुर्गन्ध पायी गयी। नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा जैविक तथा अजैविक ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

7. ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित की अनुसूची–1 के अनुसार दूरीयों के मानको को पूर्ण नहीं करता है। नगर निगम अपशिष्ट निस्तारण स्थल बलढौटी,पिथौरागढ़–अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग–309B से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है।
8. नगर निगम अल्मोड़ा को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के अन्तर्गत राज्य बोर्ड के पत्रांक–UKPCB/HO/MSW-30/2022/20 दिनांक–05.09.2022 द्वारा पूर्व में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा–(5) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।(संलग्नक–07)
9. नगर निगम अल्मोड़ा को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक UKPCB/ROH/MSW/25/255-102 दिनांक–24.04.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है। (संलग्नक–08)
10. नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति/राज्य बोर्ड से प्राधिकार/सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।
11. नगर निगम अल्मोड़ा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर लगभग 26,000 मैट्रिक टन लीगेसी वेस्ट एकत्रित है। लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु M/s Geron Engineering Pvt.LTd,143/1,Pandav Nagar, NH-24,Ghaziabad (UP) 201002 के साथ कार्यालय नगर निगम अल्मोड़ा के पत्रांक दिनांक–16.09.2025 द्वारा LoA (Letter of Acceptance) जारी किया गया है।(संलग्नक–09)
12. निरीक्षण के दौरान स्थल पर लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है।(संलग्नक–10)

<u>उपचारात्मक उपाय :–</u>

1. नगर निगम अल्मोड़ा को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में धरेलु स्तर पर जैविक/अजैविक अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु प्रोत्साहन करना उचित होगा।
2. नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण जनित स्थल पर प्रभावी ढ़ग से किया जाए तथा जनित ठोस अपशिष्ट की मात्रात्मक दैनिक रिपोर्ट नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. प्रश्नगत स्थल वन क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा आग आदि से बचाव हेतु अतिरिक्त उपाय किये जाने चाहिऐ व पूर्व में एकत्रित लीगेसी अपशिष्ट का निस्तारण निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना उचित होगा।
4. नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल पर वर्षा–जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिटेनिंग वॉल की व्यवस्था कि जानी चाहिए।
5. दैनिक रूप से एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट को प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में मिट्टी से ढका जाना चाहिऐ जिससे एकत्रित अपशिष्ट निर्धारित स्थल से बाहर न जाए।

अरविन्द कुमार

6. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र पर भरण स्थल के संनिर्माण से बचना चाहिऐ। प्रसंस्करण सुविधा से अवशिष्ट अपशिष्ट और निष्क्रिय अपशिष्ट का संग्रहण करने के लिऐ एक उपयुक्त निकटतम अवस्थान पर एक अंतरण स्थान स्थापित किया जाऐ। स्वास्थ्यकर भरण की स्थापना करने के लिए 25 किलोमीटर के भीतर पहाड़ी के नीचे समतल भूमि क्षेत्र की पहचान की जाऐ। अंतरण स्थान से अवशिष्ट अपशिष्ट का निपटान इस स्वास्थ्यकर भरण स्थल पर किया जाऐ। ऐसी भूमि उपलब्ध न होने की दशा में निष्क्रिय और अवशिष्ट अपशिष्ट के लिऐ क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भरण स्थल स्थापित करने के प्रयास किए जाना उचित होगा।
7. नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के अन्तर्गत पहाड़ो पर बसे नगरों और शहरों में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए विकसित की गई स्थान–विशिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी। नगर निकाय प्राधिकरण जैवअवक्रमणीय जैविक अपशिष्ट को उपयोगी बनाने के लिए प्रसंस्करण सुविधांए स्थापित करेगा। गैर–जैवअवक्रमणीय पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का भण्डारण किया जाएगा और इन्हें पुनर्चक्रण के लिए आवधिक रूप से भेजा जाएगा। अक्रिय और गैर–जैवअवक्रमणीय अपशिष्ट का उपयोग, सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपयुक्त क्षेत्रों की भराई करने के लिए किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों के कारण सड़क पर बिछाने या भराई के लिए उपयुक्त न पाए गए अपशिष्ट का निपटान मैदानी क्षेत्रों मे क्षेत्रीय भरण स्थलों में किया जाएगा।
8. नगर निगम द्वारा एकत्रित अपशिष्ट के निस्तारण हेतु एम0आर0एफ सेंटर तथा पर्वतीय क्षेत्र के अनुरूप तथा उपयुक्त स्थान पर विकेंद्रित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित कि जानी उचित होगी।
9. नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के अनुपालन सुनिश्चित किया जाना उचित होगा।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(अनुराग नेगी)	अरविन्द कुमार (अरविन्द कुमार)	(संजय कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी	. वैज्ञानिक–ग	उप जिलाधिकारी
यू0के0पी0सी0बी0	सी0पी0सी0बी0	सदर अल्मोड़ा।
क्षेत्रीय कार्यालय,हल्द्वानी।	क्षेत्रीय निदेशालय,लखनऊ।	

Item No. 06 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 515/2025

Principal Sharda Public School Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 17.10.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the Applicant.

ORDER

1. Mr. Aditya Shah, Principal, Sharda Public School, Almora has sent the present letter petition dated 19.05.2025 by email to this Tribunal, which has been treated and registered as O.A. No. 515/2025 for exercise of suo moto jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha, (2022) 13 SCC 401.***

2. The applicant has raised grievances regarding unregulated garbage dumped in Baldhoti, Almora. The relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicant reads as under:-

> *"Sub:- Appeal regarding unregulated garbage dumped in Baldhoti, Almora.*
> *xxx..............................xxx..xxx*
> *"I, the Principal of Sharda Public School, on behalf of the students and staff, write to bring to your urgent attention a serious environmental and public health concern regarding an unregulated garbage dump in Baldhoti, Almora.*
> *The dump lies completely uncovered and unsegregated, causing severe pollution in the area. Stray animals and even birds are constantly seen feeding on the waste, unknowingly consuming harmful pollutants, plastic, and toxic materials. This not only*

6. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Central Pollution Control Board (CPCB), UKPCB and District Magistrate, Almora and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action and submit its report within two months. The UKPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. List on 08.01.2026 for further consideration.

8. A copy of this order may be sent to the Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UKPCB and District Magistrate, Almora by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October 17th, 2025
Original Application No. 515/2025
AB

2313-1251
01/12/25
रिट

संलग्नक-02

UTTARAKHAND UKPCB

LiFE Lifestyle For Environment

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0—183—946/2025/1305 दिनांक 6.11.2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय,
आवास विकास कॉलोनी, हल्द्वानी।

विषयः— मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 515/2025 Principal Sharda Public School Vs. State of Uttarakhand & Ors. के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 515/2025 Principal Sharda Public School Vs. State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निम्न विभागों की समिति का गठन किया गया हैः—

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवं उपचारात्मक कार्यवाही सहित दो माह के अन्तर्गत रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है।

उपरोक्त प्रकरण में निरीक्षण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री अनुराग नेगी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी (मो0 नं0—9897074903 ई—मेल rohaldwani@gmail.com) को नामित किया जाता है, तथा साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर स—समय आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली—110032 को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रतिनिधि नामित करना चाहें।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रतिनिधि नामित करना चाहें।

सदस्य सचिव

Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली

2180-1147
11/11/25

संलग्नक-03

File No. : CM-13011/165/2025-LAW-HO-CPCB-HQ/583-585 दिनाँक: 10.11.2025

सेवा में

सदस्य सचिव,
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46 बी. आई. टी. पार्क
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखंड – 248001

विषय: **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ० ए० संख्या 515/2025 "प्रधानाचार्य, शारदा पब्लिक स्कूल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 17.10.2025 के अनुपालन मे संयुक्त समिति में नामांकन के संबंध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे दायर ओ० ए० संख्या 515/2025 "प्रधानाचार्य, शारदा पब्लिक स्कूल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य" में पारित आदेश दिनाँक 17.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके अनुसार मा०अधिकरण ने संयुक्त समिति का गठन किया हैं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी हैं।

उपरोक्त संदर्भ में उक्त संयुक्त समिति में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री अरविंद कुमार, वैज्ञानिक "ग" (मो० +91-9718102385, ईमेल. : arvind.cpcb@gov.in) को नामित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नामित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का कष्ट करें। बैठक /निरीक्षण की तिथि एवं नामित अधिकारी के संबंध मे इस कार्यालय को अग्रिम सूचना श्रेयस्कर होगी।

भवदीय
(कमलेश कुमार) 10/11/25
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा, उत्तराखंड : कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री अरविन्द कुमार वैज्ञानिक –'ग', क्षेत्रीय निदेशालय के० प्र० नि० बो०, लखनऊ : कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय आधिकारी, उत्तराखंड प्र० नि० बो०, हल्द्वानी : कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभाग प्रभारी, यू० पी० सी० -II प्रभाग, के० प्र० नि० बो०, नई दिल्ली : कृपया सादर सूचनार्थ।

10/11/25
(क्षेत्रीय निदेशक)

11.XI.2025

2240 - 1170
18/11/25
रिट

29

आदेश

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 515/2025 प्रिन्सिपल शारदा पब्लिक स्कूल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 17/10/2025 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के स्थान बल्ढौटी में अनियमित रूप से कचरा डम्प किये जाने सम्बंधी शिकायत के कम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधियों वाली संयुक्त समिति गठित करते हुए समिति को दो सप्ताह भीतर बैठक करने, स्थल का निरीक्षण करने, आवेदक की शिकायत पर विचार करने तथा सम्बंधित परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि को इसमें सम्मिलित कर प्रकरण में वस्तुस्थिति एवं उपचारात्मक कार्यवाही सहित दो माह अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसमें उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय और अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनॉक 17/10/2025 के कम में गठित समिति में अधोहस्ताक्षरी की ओर से उप जिला अधिकारी, सदर अल्मोड़ा को नामित किया जाता है।

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–946/2025/1305, दिनॉक 06/11/2025 से प्रकरण में निरीक्षण हेतु तथा समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर समयान्तर्गत आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री अनुराग नेगी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी को नामित किया गया है।

अतः उक्तानुसार नामित सदस्य मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनॉक 17/10/2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में श्री अनुराग नेगी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी से समन्वय स्थापित कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जॉच के दौरान सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा गठित समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

दिनॉकः– 15 नवम्बर, 2025

(अंशुल सिंह),
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 925 /इक्कीस–01 /2025–26, दिनॉक 17 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

2–नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा।

3–क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।

4–उप जिला अधिकारी, सदर अल्मोड़ा।

5–सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा।

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

MA(h&)
18/11/25

Scanned with OKEN S

संलग्नक-04

आज दिनांक 2.12.2025 को प्रधानाचार्य शारदा पब्लिक स्कूल बनाम राज्य उत्तराखण्ड व अन्य में वाद संख्या 515/2025 के क्रम में अल्मोड़ा में प्रमुख एवं सूचीबद्ध को निरीक्षक NGTO नगर निगम, राजस्व विभाग व अन्य विभागों की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया उपस्थिति निम्न प्रकार है

(1)	Laxman Singh	S.N.A.	972073 9050	[signature]
(2)	Anurag Negi	RO, UKPCB	9897074903	[signature]
(3)	Arvind Kumar	Sc. 'C' CPCB	9718102385	[signature]
(4)	Rishabh Semwal व० दि०	अनुभाग अधिकारी वन विभाग	8755979208	[signature]
(5)	बसन्त वल्लभ पाण्डे	नगर निगम अल्मोड़ा	7534011777	[signature]
(6)	मनोज मिश्रा	न० नि० अल्मोड़ा	9760169299	[signature]
(7)	Harsh Aggarwal	DMM, NN	9557988138	[signature]
(8)	राजपाल पवार	मुख्य पर्या० पर्यवेक्षक NN	9837643869	[signature]
(9)	Ayush Negi	S.A, UKPCB, ROH	9756861636	[signature]
(10)	Aditya Sah	Shard Public School	7454036038	[signature]
(11)	Deewan Singh Salal	N. Tehsildar	7300787655	[signature]

संलग्नक -05

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या– 1129/IV(3)/2024-1(03 न0नि0)/24
देहरादूनः दिनांक 30 अगस्त, 2024

अधिसूचना

चूंकि, जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा को नगर निगम, अल्मोड़ा के रूप में उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी कतिपय अधिसूचना का प्रारूप उत्तराखण्ड शासन की अनंतिम अधिसूचना संख्या–1032/IV(3)/2024–1(4न0नि0)/24, दिनांक–14.08.2024 द्वारा प्रकाशित कराया गया तथा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उक्त अधिसूचना से प्रभावित होने की सम्भावना है, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से सात दिनों की अवधि के भीतर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और चूंकि, उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा के समग्र विकास के उद्देश्य से नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगर निगम अल्मोड़ा के रूप में उच्चीकृत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं एवं यह घोषणा करते हैं कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के उपखंड (ग) के अधीन नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर निगम, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

अनुसूची

नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– 1129 (1)/IV(3)/ 2024-1(03 न0नि0)/24, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50

Adhsuchna

प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या– 1129 (2)/IV(3)/2024-1(03 न0नि0)/24, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।
9. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
12. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
13. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Adhisuchna

संलग्नक-06

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ऑ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 70 / 2016 / एफ0सी0 / 1664

दिनांक: 20 / 01 / 2017

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद– अल्मोड़ा के अन्तर्गत बलधौती ब्लाक–1 बी में ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन योजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि का नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 456 / X-4-16/1(132)/2016 दिनांक 12.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/Other/13856/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाऐं चाही गयी थी जिसकी अंतिम अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 27.12.2016 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। अतः प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत बलधौती ब्लाक–1 बी में ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन योजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि के नगरपालिका परिषद, अल्मोड़ा को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं उसके सात से दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता में **Online portal** के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानो पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे वृक्षारोपण किया जायगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may upload the revised component wise breakup in para-B-2.4 of online Part-II. As provided in hard copy of the proposal
7. State govt. may also upload the approximate distance of proposed site of diversion inside from the boundary of RF in para-7 of online Part-II.
8. State Govt. and the User Agency will obtain Environmental Clearance for the project, if applicable, under the provisions of the EIA Notification, 2006 and the clearance from NBWL, if applicable before starting the work.

(69)

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये।

राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

2 एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

4 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

8 प्रस्ताव के अनुसार इस प्रकरण में वृक्षो का काटन/पातन नही किया जाना है।

9 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

10. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3 आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)
वन संरक्षक

HEAD OFFICE संलग्नक-07 1523 - 459

Uttarakhand Pollution Control Board 13/09/22

"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"

46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun (Uttarakhand)

Web : www.ueppcb.uk.gov.in. E-mail : msukpcb@yahoo.com

UKPCB/HO/ MSW-30 /2022/ 20 Date: 05/09.2022

Speed Post

To,

Executive Officer,
Nagar Palika Parishad, Almora
Distt – Almora

Directions under Section-5 of Enviornment (Protection) Act – 1986

WHEREAS, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India has promulgated Solid Waste Management Rules, 2016 under Environment (Protection) Act, 1986; **and**

WHEREAS, as per rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016, Duties and Responsibilities of local authorities has been assigned.

WHEREAS, as per rule 15(b) of the Solid Waste Management Rules,2016, the local Authority has to arrange door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes etc.

WHEREAS, as per rule15 (zc) of the Solid Waste Management Rules,2016, the local Authority shall educate workers including contract workers and supervisors for door-to-door collection of segregated waste and transporting the unmixed waste during primary and secondary transportation to processing or disposal facility.

WHEREAS, as per rule15 (zc) of the Solid Waste Management Rules,2016, the local Authority shall create public awareness through information, education and communication campaign and educate the waste generators on the following; namely not to liter, minimize generation of waste, reuse of the waste to the extent possible, practice segregation of waste into bio-degradable, non-bio-degradable (recyclable and combustible), sanitary waste and domestic hazardous waste at source,

WHEREAS, as per Rule – 20 of the Solid Waste Rules, 2016, the Urban local bodies located in hilly areas shall implement extra measures in addition to duties and responsibilities assigned under Rule-15; and

WHEREAS, as per rule 22 of the Solid Waste Management Rules,2016, the necessary infrastructure for implementation of these rules shall be created by the local bodies.

WHEREAS, as per rule 6(1) of **The Plastic Waste Management Rules,2016**, every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste.

WHEREAS, as per rule 6(2) of **The Plastic Waste Management Rules,2016**, every local body shall be responsible for setting up, operationalization and coordination of the waste management system and for performing the associated functions

WHEREAS, to see the compliance of the **Solid Waste Management Rules,2016** and the **Plastic Waste Management Rules,2016** the inspection was conducted on 27.08 2022 by the official of Regional Office, UKPCB, Haldwani and made following observations: -

1. The total quantity of Bio-degradable and non-biodegradable waste is 8 T/day. The solid waste without being segregated is stored near Almora-Pithoragarh National Highway at baldhoti block B-01 which is 0.09-hectare land. In Principle approval for this land is given by Forest department.
2. The solid waste is not being disposed scientifically and due to dumping of unsegregated waste in open area there is an odour problem.

Cont page-2

3. The composting machine was found at the storage area but at the time of inspection it was not operational and at the disposal site there was no arrangement for vermi-composting etc.
4. In the area of the local authority 1 to 1.5 T/M plastic waste is generated which is being partially collected at the segregated area.
5. For the management of the plastic waste, one trama machine, one conveyor belt, one compactor has been installed at the disposal site.
6. Till now local authority has not made any arrangement for the legacy waste.

It is evident from the above observations, that the local authority is not complying them provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 and the Plastic Waste Management Rules,2016 and ;

WHEREAS, Hon'ble NGT in the matter of O.A. no. 606/2018 issued directions that :- **In View of the fact that most of the statutory timelines have expired and direction of the Hon'ble Supreme Court and this tribunal to comply with the solid waste Management Rules,2016 remain unexecuted, interim compensation scale is hereby laid down for continued failure after 31/03/2020.The compliance of the rules 22 from serial no 1 to 10.Any such failure will result in liability of every local body to pay compensation at the rate of Rs 10 Lakh per month per local body for population above 10 Lakh, Rs 5 Lakh per month per local body for population between 5 Lakh and 10 Lakh and Rs 1Lakh per month per other local body from 01/04/2020**; and

Now Therefore, in exercise of the power conferred under **Section-5 of Environment (Protection) Act - 1986** as amended with approval of the competent authority of the Board, notice is hereby served to **Nagar Palika Parishad, Almora Distt – Almora to Show Cause within 30 days of time from issue of this notice to the undersigned, why not the Environment compensation of 1.0 Lakh/Month shall be imposed on** the **Nagar Palika Parishad, Almora ,Distt – Almora under the provisions of above Acts.**

This issues with the approval of competent authority of this Board.

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to :-

1. **Additional Chief Secretary, Urban Development Department, Dehradun** for kind information
2. **Director, Urban Development Directorate, Dehradun** for kind information and necessary action.
3. **District Magistrate, Almora for** kind information and necessary action.
4. **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani** for information and necessary compliance.
5. Guard File.

Member Secretary

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCBPh No.- 05946-225618, 221532Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/MSW/25/255-102 Dt- 24/04/2025

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम अल्मोड़ा।

विषय–नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नगर निगम अल्मोडा के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन निस्तारण स्थल ग्राम–बल्ढौटी, जिला–अल्मोडा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–19.04.2025 को किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम अल्मोड़ा द्वारा जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।अग्रेतर अवगत होना चाहे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मूल आवेदन संख्या 606/2018 मे पारित आदेश दिनांक 02.07.2020 में निम्न आदेश पारित हैः–4.1 a. In view of the fact that most of the statutory timelines have expired and directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal to comply with solid waste Management Rules, 2016 remain unexecuted, **interim compensation scale is hereby laid down for continued failure after 31.03.2020. The compliance of the Rules require taking of several steps mentioned in Rule 22 from Serial No.1 to 10 (mentioned in para 12 above). Any such continued failure will result in liability of every Local Body to pay compensation at the rate of Rs 10 lakh per month per Local Body for population of above 10 lakhs, Rs 5 lakh per month per Local Body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs 1 lakh per month per other Local Body from 01.04.2020 till compliance. If the Local Bodied are unable to bear financial burden,the liability will be of the State Governments with liberty to take remedial action against the erring Local Bodies.**

अतः उक्त पत्र आपके अवलोकन मे इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करते हुये संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करना चाहेंगे।

संलग्नक –यथोपरि।

भवदीय

24/4/2025

(अनुराग नेगी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

24/4/25

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

24/4/25

कार्यालय नगर निगम, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

Email-eonagarpalikaalmora@gmail.com

Toll Free No- 18003095560

संवा क्र-09

Swachhbata

पत्रांक 1075/8–2(2025–2026) दिनाँक 16.09 , 2025

Letter of Acceptance (LOA)

Tender No : 2025_NPPA_83882_1

Contract Title : "Biomining of Legacy waste located at the dumpsite in Almora."

To,

Geron Engineering Pvt. Ltd.

143/1, Pandav Nagar, NH-24

Ghaziabad (UP) 201002.

Sub: Letter of Acceptance for contract tender no: 2025_NPPA_83882_1 and contract title as mentioned above.

Ref:

(i) Tender Id: 2025_NPPA_83882_1

This is to notify you that **Municipal Corporation Almora** has hereby accepted your bid proposal against Tender Id: 2025_NPPA_83882_1 of the above-mentioned work. The negotiated project cost is **Rs. 14222000/- (INR One crore forty-two lakhs twenty two thousand Only)** as approved by Under Singing authority, which includes the scope defined in the RFP document and is inclusive of all taxes, levies.

Thus, you are hereby informed to furnish a Performance Security (5% of the annual Contract Value i.e. Rs711100/- (Seven lakhs eleven thousands one hundred Rupees only) with a validity of 1 years 28 days. You are required to sign the Agreement of the above-mentioned project within 7 days from the receipt of this Letter of Acceptance (LoA), failing which action as stated in RFP will be taken.

Please return a copy of this letter acknowledging receipt as indicated below.

16/09/25

Commissioner

Municipal Corporation Almora

We acknowledge the receipt of this letter .... (date) Signed: ... .On behalf of the Contractor Geron Engineering Pvt Ltd Add-143/1, Pandav Nagar, NH-24 Ghaziabad (UP) 201002.

GPS Map Camera
Google
Kalet, Uttarakhand, India
Almora - Barechhina Rd, Kalet, Uttarakhand 263601, India
Lat 29.610613° Long 79.677634°
02/12/2025 01:20 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Kalet, Uttarakhand, India
Almora - Barechhina Rd, Kalet, Uttarakhand 263601, India
Lat 29.610592° Long 79.677866°
02/12/2025 01:35 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Kalet, Uttarakhand, India
Almora - Barechhina Rd, Kalet, Uttarakhand 263601, India
Lat 29.610611° Long 79.677632°
02/12/2025 01:20 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera

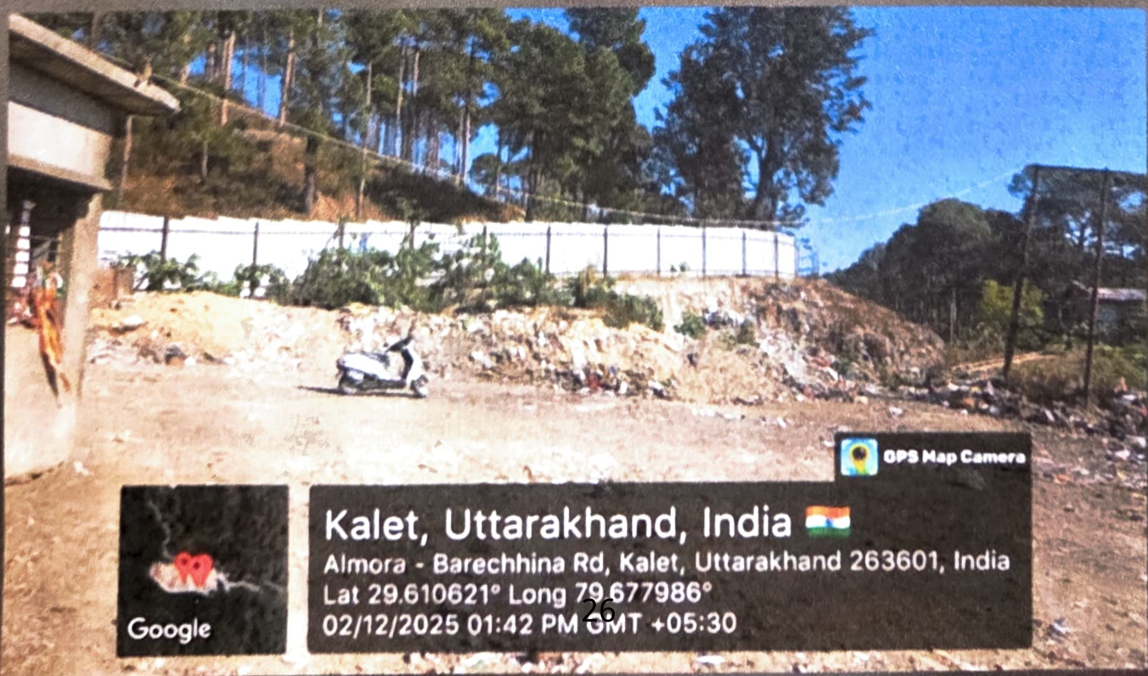
GPS Map Camera
Kalet, Uttarakhand, India
Almora - Barechhina Rd, Kalet, Uttarakhand 263601, India
Lat 29.610621° Long 79.677986°
02/12/2025 01:42 PM GMT +05:30
Google

Kalet, Uttarakhand, India
Almora - Barechhina Rd, Kalet, Uttarakhand 26
Lat 29.610689° Long 79.677934°
02/12/2025 01:42 PM GMT +05:30
Google

Kalet, Uttarakhand, India
Almora - Barechhina Rd, Kalet, Uttarakhand 26
India
Lat 29.610683° Long 79.677897°
02/12/2025 01:37 PM GMT +05:30

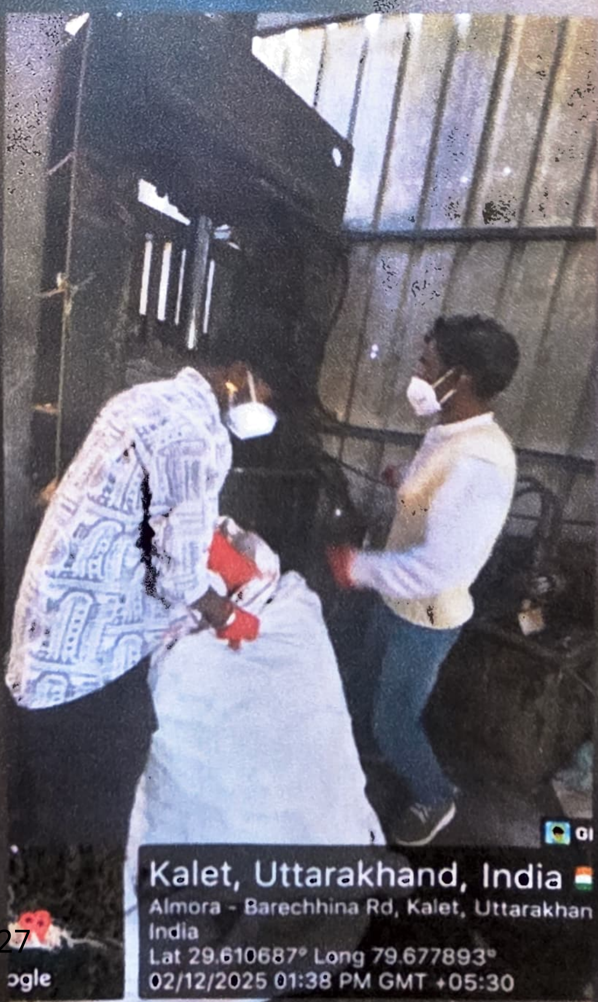
Kalet, Uttarakhand, India
Almora - Barechhina Rd, Kalet, Uttarakhan
India
Lat 29.610687° Long 79.677893°
02/12/2025 01:38 PM GMT +05:30